

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल श्री सर्वदवन सिंह के पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना मेंहदावल श्री राकेश कुमार सिंह की गठित टीम द्वारा थाना मेंहदावल पर पंजीकृत मु०अ०सं० 362/2026 धारा 137(2)/87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मो० सलीम पुत्र सबीब अहमद उर्फ सब्बीर निवासी ग्राम सई बुजुर्ग थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को आज दिनांक 19.10.2026 को सोनबरसा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 23.08.2026 को थाना मेंहदावल पर उक्त अभियुक्त के विरुद्ध वादी की बहन को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ०नि० मैनेजर यादव, का० धीरेन्द्र प्रताप सिंह, का० अनिल मौर्या ।

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर के निर्देशन में थाना महुली पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम में जिलाबदर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जिला बदर आदेश का उल्लंघन कर लुक छिप कर जनपद में कर रहा था निवास

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी धनघटा श्री अभयनाथ मिश्र के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष महुली श्री दुर्गेश पाण्डेय के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर जिलाबदर अभियुक्त मुकेश यादव पुत्र रंगीलाल निवासी भैसही उर्फ भैसवरिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को दिनांक 19.10.2026 को ग्राम कुशहवा से जिलाबदर अवधि का उल्लंघन करने के कारण गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया। उक्त गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 436/2026 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त को जिला प्रशासन द्वारा छः माह की अवधि के लिए जनपद संतकबीरनगर से जिलाबदर का आदेश दिया गया था। अभियुक्त को इस आदेश का तामिला भी आदेशोपरान्त करवा दिया गया था, उसके उपरान्त भी अभियुक्त जनपद की सीमा में लुक छिप कर निवास कर रहा था। जिलाबदर आदेश के उल्लंघन के क्रम में थाना महुली पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

- मुकेश यादव पुत्र रंगीलाल निवासी भैसही उर्फ भैसवरिया थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

अपराधिक इतिहास अभियुक्त मुकेश यादव -

1. मु0अ0सं0 285/2006 धारा 302/324/323/504 भादवि व 3(2)(5) एससी एसटी एक्ट व 25/27 आर्म्स एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
2. मु0अ0सं0 180/2024 धारा 323/506 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
3. मु0अ0सं0 296/2024 धारा 64/127(2)/351(2)/352 भा0न्या0सं0 व 3(2)(5a) व 3(1)ध एससी/एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
4. मु0अ0सं0 546/2006 धारा 307 भादवि थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
5. मु0अ0सं0 261/2025 धारा 352/351(2)/324(4) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
6. मु0अ0सं0 460/2025 धारा 115(2)352/351(3)/324(4) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
7. मु0अ0सं0 353/2025 धारा 115(2)352/351(3) बीएनएस थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।
8. मु0अ0सं0 324/2024 धारा 137(2) भा0न्या0सं0 व धारा 3(2)(5A) एससी/ एसटी एक्ट थाना महुली जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले अधिकारी / कर्मचारीगण:- उ0नि0 श्री अशोक कुमार, हे0का0 नूरुद्दीन खां, का0 राजमंगल यादव, का0 मनीष कुमार।

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक – 19.10.2026

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर **संदीप कुमार मीना** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में **थाना मेंहदावल पुलिस** द्वारा 01 नफर वारण्टी नाम पता श्रीराम यादव पुत्र सुखदेव यादव निवासी पंडित पुरवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 श्री कय्यूम अंसारी, का0 फैजान अहमद।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 14 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 10 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 7668 द्वारा दो पक्षों में विवाद/मारपीट में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 7668 को थाना कोतवाली खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत भुवरिया चौराहा से कालर द्वारा दो पक्षों में विवाद/मारपीट के कारण घायल 01 व्यक्ति (01.चन्दन सिंह पुत्र लालबहादुर निवासी उपरौध थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर मारपीट विवाद में घायल को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना कोतवाली खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर उक्त घायल को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- का0 अंगद यादव, हो0गा0चा0 अशोक कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 576 वाहनों से 7,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 576 वाहनों से 7,04,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।